बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

विषयः स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत नियमित चिकित्सकों के रिक्त पदों पर संविदागत नियोजित चिकित्सकों की सेवा एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अन्तर्गत स्वीकृत पदों पर संविदा के आधार पर कार्यरत चिकित्सकों को नियमित चिकित्सकों के अधिकतम उम्र सीमा के अनुरूप (वित्त विभागीय अधिसूचना संख्या–6745 दिनांक–30.07.2015) 67 वर्ष तक प्राप्त करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या–2401 दिनांक–18.07.2007 द्वारा निर्धारित 65 वर्ष के अधिकतम सीमा संबंधी बंधेज को शिथिल करने एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अन्तर्गत संविदा पर कार्यरत चिकित्सकों की अधिकतम सेवा 65 वर्ष से 67 वर्ष उनकी चारित्री एवं सत्यनिष्ठा के आधार पर विस्तारित करने की शक्ति राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के शासी निकाय को तत्समय प्रभावी प्रावधान के अनुसार किये जाने के सम्बन्ध में ।

वर्त्तमान में राज्य में सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी एवं विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारियों की काफी कमी है। राज्य में चिकित्सकों की कमी एवं नियमित नियुक्ति में विलम्ब के कारण जनहित में चिकित्सकों को संविदा के आधार पर नियोजित किया गया है।

जनहित एवं चिकित्सकों की कमी को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत नियमित चिकित्सकों के रिक्त पदों के विरुद्ध संविदागत नियाजित चिकित्सकों की सेवा एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अन्तर्गत स्वीकृत पदों पर संविदा के आधार पर कार्यरत चिवकित्सकों को नियमित चिकित्सकों के अधिकतम उम्र सीमा के अनुरूप (वित्त विभागीय अधिसूचना संख्या–6745 दिनांक–30.7.2015) 67 वर्ष तक प्राप्त करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या–2401 दिनांक–18.7.2007 द्वारा निर्धारित 65 वर्ष के अधिकतम सीमा संबंधी बधेज को शिथिल किया जाता है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अन्तर्गत संविदा पर कार्यरत चिकित्सकों की अधिकतम सेवा 65 वर्ष से 67 वर्ष उनकी चारित्री एवं सत्यनिष्ठा के आधार पर विस्तारित करने की शक्ति राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार पटना के शासी निकाय के द्वारा तत्समय प्रभावी प्रावधान के अनुसार किया जायेगा।

2. एतद संबंधी प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक–20.6.18 में मद सं० 20 से स्वीकृत है।

यह आदेश निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा ।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प का प्रकाशन राजकीय गजट के असाधारण अंक में किया जाय तथा इसकी 25 प्रतियाँ स्वास्थ्य विभाग के उपलब्ध करायी जाय।

810 (2)
13/7/2018

ह0/–
(अनिल कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–2/एम–16/13– 810(2) पटना, दिनांक 13/7/2018

प्रतिलिपि : कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार, पटना/कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार, विभाग, वित्त विभााग /महालेखाकार, बिहार, बीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के सचिव/निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएँ/निदेशक स्वास्थ्य सेवाएँ/माननीय मंत्री/राज्य मंत्री स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त /सभी जिला पदाधिकारी/ सभी क्षेत्रीय उप निदेशक स्वास्थ्य सेवाएँ/सभी सिविल सर्जन /आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अप लोड करने हेतु/विभागीय प्रशाख पदाधिकारी, 2/3 को सूचनार्थ एवं आवश्यक हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : सचिवालय मुद्रणालय (प्रशाखा) वित्त विभाग, बिहार; पटना को सी०डी० के साथ राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

12.7.18

सरकार के संयुक्त सचिव